

राजस्थान सरकार  
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 14(4)शिक्षा-1 / एकीकरण / सीकर / 2014


जयपुर, दिनांक : 09.10.2017

**:: आदेश ::**

इस विभाग द्वारा राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, बावडी, पं.स. खण्डेला, सीकर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावडी, पं.स. खण्डेला, सीकर में समसंख्यक आदेश दिनांक 24.07.2017 द्वारा समन्वित किया गया था। ग्रामवासियों एवं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री, भारत सरकार नई दिल्ली से प्राप्त पत्रों के पर्याप्त समन्वित किए गए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावडी, पं.स. खण्डेला, सीकर को समन्वयन से पृथक कर स्वतंत्र रूप से संचालन की अनुमति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

**उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।**

आज्ञा से,



(आर.एस. झालानी)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री, राज., जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्यमंत्री, (स्वतंत्र प्रभार)।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
5. राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर।
- ✓ 6. निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर को भेजकर निर्देशानुसार लेख है कि समन्वयन से पृथक किए गए विद्यालय में शैक्षणिक संचालन की व्यवस्था पूर्ववत् करावे।
7. संभागीय आयुक्त, चूरु
8. जिला कलक्टर सीकर
9. संयुक्त / वरिष्ठ / उप शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा / आयोजना / शिक्षा (ग्रुप-2, 5, 6) विभाग।
10. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, संभाग चूरु
11. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, सीकर
12. प्रभारी, शाला दर्पण / शाला दर्शन को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार शाला दर्पण / शाला दर्शन में इन्द्राज करें।
13. रक्षित पत्रावली।



(बी.के. गुप्ता)

विशेषाधिकारी, शिक्षा